प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट 'उन्यासी'
प्रश्न सं. [क्र. 2560]
[8/3/2018]

जांच प्रतिवेदन

परिशिष्ट

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 410 सत्र नवम्बर–दिसम्बर 2017 माननीय विधायक श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना से संबंधित जिला पंचायत के पत्र कमांक 5054 /जि.पं./एनआरईजएस– एमपी/वि. स/2017 दिनांक 22.11.2017 से विधानसभा प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कमांक–2 को उद्भूत बिन्दुओं की जांच हेतु आदेशित किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जिला पंचायत रीवा के निर्देशानुसार मौके पर पाई गई स्थिति एवं साक्ष्य अभिलेखों का परीक्षण किया जाकर तथ्यों की जांच की गई स्थिति निम्नानुसार पाई जाती है :–

1. **एसजीआरबाई 50 प्रतिशत मूलभूत योजना 12वां वित्त आयोग द्वारा सतखरा तालाब से ट्रान्सफार्मर तक पहुंच मार्ग** :– यह कार्य वर्ष 2001–02, 2007–08 में जेआरबाई मद से एवं वर्ष 2013–14 में मनरेगा मद से मुरमीकरण में कमशः रूपये 37982.00, 11922.00, 198576.00 कुल रूपये 248480.00 का व्यय किया जाना पाया जाता है, किए गए व्यय की पुष्टि ग्राम पंचायत के कैशबुक से होती है। कच्चा कार्य है वर्ष 2001–02, 2007–08, 2013–14 के मुरमीकरण कार्य में बरसात व्यतीत होने के बाद तथा आवागमन होने के कारण क्षरण होना स्वभाविक है, कार्य कराए जाने की पुष्टि होती है, कार्य की लम्बाई अभिलेखीय आधार एवं मौके पर पाई गई स्थिति अनुसार 800मीटर पाई जाती है।

2. **चक्की से रंगलाल के घर तक पहुंच मार्ग** :– यह कार्य भी कच्चा, मुरमीकरण का कार्य है लम्बाई 450 मीटर मौके पर एवं अभिलेखीय आधार पर पाई गई। कार्य में वर्ष 2007–08 में 6954.00 का मात्र व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि रोकड़ पंजी से होती है अनियमितता होने की पुष्टि नहीं होती।

3. **विश्वनाथ सोनी के घर से श्यामभूषण द्विवेदी के घर तक मुरमीकरण** :– यह कार्य 100 मीटर लम्बाई का मौके पर एवं अभिलेखीय आधार पर पाया गया। इस कार्य में वर्ष 2007–08 में रूपये 9658.00 मात्र का व्यय किए जाने की पुष्टि ग्राम पंचायत द्वारा संधारित रोकड़ पंजी से होती है, अनियमितता होने की पुष्टि नहीं होती।

प्रश्नांश उत्तर (ख) में माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्यो के ऊपर ही नाम बदलकर कार्य कराए जाने के मुद्दे उठाए गए हैं मौका–मुआयना किया जाकर अभिलेखीय साक्ष्यों का परीक्षण किया गया स्थिति निम्नानुसार पाई जाती है :–

क्र.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति का विवरण	स्वीकृत लागत (लाख में)	व्यय राशि	मूल्यांकन राशि	माप पुस्तिका मूल्यांकन का विवरण
1	शमीदुल्ला के घर से शफरूद्दीन के घर तक खेत–सड़क मार्ग 400 मीटर	284/08.01.2014	6.72	4.06	4.97	133871 पर मूल्यांकन तातारीख दर्ज है।
2	देवेन्द्र द्विवेदी के घर से गढवा नाला तक 900 मीटर खेत–सड़क मार्ग	285/08.01.2014	14.79	8.63	8.61	133871 पर मूल्यांकन तातारीख दर्ज है।

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार दोनों कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् स्वीकृत एनएच–7 से पिपरा पहुंच मार्ग पर में स्वीकृत वर्ष 2014 पैकेज कमांक–3280 ए B.W. कार्यादेश दिनांक 13.06.2014 में समाहित हैं वर्णित दोनों कार्य प्रश्नांश (क) में माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा वर्णित निर्माण कार्य के नाम बदलकर नहीं कराए गए है वर्णित निर्माण कार्यो का कार्यस्थल एवं नाम अलग हैं किसी प्रकार के अनियमितता की पुष्टि अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौके पर पाई गई स्थिति अनुसार नहीं होती।

प्रश्नांश बिन्दु (घ) के परिपेक्ष्य में मौके पर पाई गई स्थिति एवं साक्ष्य अभिलेखों का परीक्षण किया गया जिसमें यह पाया गया कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा अंतर्गत मऊगंज में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2010–11 में कुल 06 सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए थे जिसमें अर्थवर्क का कार्य मनरेगा योजना से विभागीय रूप से कार्य कराया गया था जिसके समस्त एनएमआर का भुगतान किया जा चुका है एवं पुलियों एवं ग्रेबल का कार्य निविदा पद्धति से कराए जाने के निर्देश प्रशासकीय स्वीकृति आदेश सहित शासन स्तर से प्राप्त हुए निर्देशों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही पूर्ण की जाकर कार्य कराए गए। निविदा पद्धति से कराए गए कार्यो में दिनांक 30.11.2010 को मैसर्स बालाजी कन्ट्रक्शन कम्पनी को कार्यादेश जारी किया गया। दिनांक 30.04.2015 को संविदाकार द्वारा कार्य में गति न देने के कारण संविदा नियमों के अनुरूप संविदा निरस्त कर विभागीय रूप से कार्य कराने हेतु एनएमआर दिनांक 01.05.2015 को जारी किए गए।

तत्समय श्री पी0एल0 साकेत कार्य प्रभारी उपयंत्री थे इनके द्वारा मस्टर रोल एवं मापांकन, मूल्यांकन कर प्रस्तुत किया गया किन्तु डी0आर0 मेश्राम, सहायक यंत्री के द्वारा सत्यापन नहीं किया गया तकनीकी नियमों के अनुसार उपयंत्री द्वारा किए गए मापांकन, मूल्यांकन का सत्यापन नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया। तत्पश्चात् तत्कालीन समय में पदस्थ सहायक यंत्री श्री संतोष तिवारी को मौके में किए गए कार्य के परीक्षणोपरांत लंबित एनएमआर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का लेख किया गया परन्तु स्थल पर प्रस्तुत एनएमआर के अनुसार कोई कार्य मौके पर नहीं पाया गया जिसके कारण तत्कालीन सहायक यंत्री श्री संतोष तिवारी द्वारा सत्यापन प्रमाणीकरण नहीं किया गया। तत्पश्चात् अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल रीवा द्वारा संविदाकार के निविदा पुर्नजीवित एवं समयवृद्धि के प्राप्त आवेदन पर विचार कर दिनांक 03.10.2015 को संविदाकार का आवेदन स्वीकार करते हुए निविदा पुर्नजीवित कर कार्य कराने हेतु आदेशित किया गया, जिसके परिपालन में संविदाकार ने समयवृद्धि अनुसार कार्य कराया गया एवं कार्य पूर्ण होने के बाद कार्य का अंतिम मूल्यांकन दिनांक 19.09.2016 को तत्कालीन उपयंत्री श्री राजेश साकेत एवं सत्यापन सहायक यंत्री श्री संतोष तिवारी द्वारा किया गया जिसका भुगतान दिनांक 28.10.2016 तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री जे0पी0 आर्या द्वारा मैसर्स बालाजी कन्ट्रक्शन कम्पनी (संविदाकार) को किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर किसी प्रकार की अनियमितता होने की पुष्टि नहीं होती। उपरोक्तानुसार जांच प्रतिवेदन सहपत्रों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(डी0एस0 आर्मो)
कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क–2
रीवा म0प्र0

Scanned by CamScanner